

प्रेस-विज्ञप्तिथाना तरवांकिशोरी को भागने वाला अभियुक्त गिरफ्तारपूर्व की घटना-

दिनांक-16.06.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि वादिनी की पुत्री को अभियुक्त 1- कन्हैया राजभर पुत्र सीता राम राजभर निवासी सुल्तानपुर नवापुरा थाना तरवां जनपद आजमगढ़ अपने साथी 2- सूरज राजभर पुत्र नगीना राजभर निवासी सुल्तानपुर नवापुरा थाना तरवां जनपद आजमगढ़ के साथ बहला फूसला कर भगा ले गया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 194/2024 धारा-363, 366, 120बी भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना व0उ0नि0 जीतेन्द्र कुमार सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है।

➡ दौरान विवेचना अपहता की बरामदगी कर अपहता के बयान व साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा- 376 भादवि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद आजमगढ़ श्री हेमराज मीना के आदेश के अनुपालन में व थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार के कुशल नेतृत्व में व0उ0नि0 जीतेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह द्वारा आज दिनांक 03.07.2024 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1- कन्हैया राजभर पुत्र सीता राम निवासी ग्राम सुल्तानपुर नवापुरा थाना तरवां जनपद आजमगढ़ को परमानपुर बाजार से समय करीब 7:05 बजे गिरफ्तार कर नियमानुसार चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-कन्हैया राजभर पुत्र सीता राम निवासी ग्राम सुल्तानपुर नवापुरा थाना तरवां जनपद आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0- 194/2024 धारा 363,366,376 भादवि व 3/4पाक्सो एक्ट एक्ट थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 जीतेन्द्र कुमार सिंह, का0 विपिन यादव थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

थाना- बरदहगैर इरादतन हत्या करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तारपूर्व की घटना-

दिनांक 02.07.2024 को वादी मुकदमा शिवपूजन पुत्र स्व0 दुलार ग्राम व पोस्ट सोहौली थाना बरदह जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि अभियुक्तों 1. शांती पत्नी शम्भू 2. नीरज पुत्र शम्भू 3. आरती पत्नी सूरज समस्त निवासी ग्राम सोहौली थाना बरदह जनपद आजमगढ़ ने वादी के भाई शम्भू पुत्र स्व0 दुलार को लाठी डण्डा से मारा पिटा जिसके बाद परिजनो द्वारा शम्भू को इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी की मृत्यु हो गयी जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 223/24 धारा 304 भादवि0 बनाम 1. शांती पत्नी शम्भू 2. नीरज पुत्र शम्भू 3. आरती पत्नी सूरज समस्त निवासी ग्राम सोहौली थाना बरदह जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 03.07.2024 को उ0नि0 महेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तो 1. शांती पत्नी शम्भू 2. नीरज पुत्र शम्भू 3. आरती पत्नी सूरज समस्त निवासी ग्राम सोहौली थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को राजभर चौकी सोहौली से समय करीब 07.35 बजे गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त 02 डण्डा बरामद कर गिरफ्तार अभियुक्तो का नियमानुसार चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. शांती पत्नी शम्भू 2. नीरज पुत्र शम्भू 3. आरती पत्नी सूरज समस्त निवासी ग्राम सोहौली थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0- 223/24 धारा 304 भादवि0 थाना बरदह, आजमगढ़।

बरामदगी- 2 डण्डा (घटना प्रयुक्त)आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्तगिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 महेन्द्र प्रताप सिंह, हे0का0 मनोज सिंह, का0 विद्याकान्त, म0का0 संजू यादव, म0का0 रंजू यादव थाना बरदह, आजमगढ़।

थाना- बरदह
किशोरी को भागा ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक 06.12.2023 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि वादिनी मुकदमा की लड़की दिनांक 05.12.2023 को पढ़ने के लिए स्कूल गयी थी जो अभी तक घर वापस नहीं आयी। उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 515/23 धारा 363 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

➡ दौरान विवेचना दिनांक 20.06.24 को किशोरी की बरामदगी कर पीड़िता के बयान व अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 366,376 भादवि व 4(2) पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी तथा अभियुक्त साहिल पुत्र स्व0 विनोद निवासी ग्राम कछवन थाना चन्दवक जनपद जौनपुर का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 03.07.2024 को व0उ0नि0 कमलकान्त वर्मा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त साहिल पुत्र स्व0 विनोद निवासी ग्राम कछवन थाना चन्दवक जनपद जौनपुर को राजेपुर हदिसा मोड़ से समय करीब 08.20 बजे गिरफ्तार कर नियमानुसार चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- साहिल पुत्र स्व0 विनोद निवासी ग्राम कछवन थाना चन्दवक जनपद जौनपुर।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0- 515/23 धारा 363,366,376 भादवि व 4(2) पाक्सो एक्ट थाना बरदह, आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1- व0उ0नि0 कमलकान्त वर्मा, उ0नि0 मनीष सिंह, हे0का0 विहंगल यादव थाना बरदह, आजमगढ़।

प्रेस विज्ञप्ति

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने किया थाना मुबारकपुर व जहानागंज का औचक निरीक्षण दिये आवश्यक दिशा निर्देश

दिनांक- 02.07.2024 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा थाना मुबारकपुर एवं थाना जहानागंज का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा निम्न दिशा-निर्देश दिये गये-

थाना मुबारकपुर

- ➡ थाना कार्यालय के अभिलेखों का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।
- ➡ थाना परिसर की साफ सफाई का निरीक्षण कर अच्छी साफ सफाई रखने हेतु निर्देशित किया गया।
- ➡ पुलिस कर्मियों से लागू किये गये नये कानूनों से सम्बन्धित प्रश्न पूछे।

थाना जहानागंज

- ➡ थाना कार्यालय के अभिलेखों का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।
- ➡ थाना कार्यालय के सीसीटीएनएस कक्ष का निरीक्षण कर नियुक्त कर्मचारियों को नये कानून के तहत पंजीकृत होने वाले मुकदमों के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये।
- ➡ थाना परिसर में नियमित साफ सफाई बनाये रखने हेतु निर्देशित किया गया।
- ➡ थाना परिसर में लगाये गये सीसीटीवी कैमरों की स्थिति परखी।
- ➡ जनसुनवाई रजिस्टर का अवलोकन कर सम्बन्धित पुलिस कर्मियों को समस्त प्रा0 पत्रों को रजिस्टर में अंकित करने तथा समय से निस्तारित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

थाना- रानी की सराय
चोरी गये सामान के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक- 02.07.2024 को वादी मुकदमा श्यामबिहारी यादव पुत्र स्व0 बलीराम यादव ग्राम नन्थुपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी (1) राजन पुत्र घनश्याम नि0 फिरुदूपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ (2) अभिषेक उपाध्याय पुत्र नन्लीकान्त नि0 नेवरही थाना रानी की सराय आजमगढ़ (3) राकेश पुत्र कार्तिक यादव ग्राम नेवरही थाना रानी की सराय आजमगढ़ के द्वारा वादी मुकदमा के निर्माणाधीन मकान के बाहर लगे पानी का मोटर चुरा कर ले जा रहे थे कि प्रार्थी के पट्टीदार प्रकाश यादव ने मोटर ले जाते समय मना किया तो विपक्षियों के द्वारा प्रकाश यादव को जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना रानी की सराय पर मु0अ0स0 192/2024 धारा 305ए/351(2) BNS बनाम (1) राजन पुत्र घनश्याम आदि 03 नफर पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तारी की विवरण-

दिनांक- 03.07.2024 को व0उ0नि0 गोपाल जी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त (1) राजन पुत्र घनश्याम नि0 फिरुदूपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ (2) अभिषेक उपाध्याय पुत्र नन्लीकान्त नि0 नेवरही थाना रानी की सराय आजमगढ़ (3) राकेश पुत्र कार्तिक यादव ग्राम नेवरही थाना रानी की सराय आजमगढ़ को रुदरी अण्डरपास हाईवे के नीचे से समय 12.40 बजे गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक पानी का मोटर बरामद किया गया। गिरफ्तारी बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2)BNS की बढोत्तरी कर गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0स0 193/2024 धारा 305ए/351(2) /317(2)BNS थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

- (1) राजन पुत्र घनश्याम नि0 फिरुदूपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
- (2) अभिषेक उपाध्याय पुत्र नन्लीकान्त नि0 नेवरही थाना रानी की सराय आजमगढ़
- (3) राकेश पुत्र कार्तिक यादव ग्राम नेवरही थाना रानी की सराय आजमगढ़

बरामदगी -

1- एक अदद पानी की मोटर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- (1) व0उ0नि0 गोपाल जी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
- (2) रि0उ0नि0 सूरज तिवारी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
- (3) का0 अमित कुमार थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
- (4) का0 कृष्ण कुमार यादव थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

थाना - अतरौलिया

साइबर फ्राड के 13,000/- रूपये वापस कराये गये

पूर्व की घटना-

दिनांक 13.09.2023 को आवेदक प्रिंस यादव पुत्र पप्पू यादव निवासी इब्राहिमपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि उसके खाते से 13,000/- रूपये साइबर फ्राड के माध्यम से कट गये थे। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर साइबर शिकायत संख्या 33109230131970 पंजीकृत कर साइबर टीम व कम्प्यूटर ऑपरेटर आशीष कुमार थाना अतरौलिया आजमगढ़ द्वारा आवेदक के खाते से कटे कुल 13000/- रूपये वापस कराये गये।

➡ दिनांक 02.07.2024 को थानाध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार सिंह के निर्देशन में कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए आशीष कुमार मय साइबर हेल्पडेस्क टीम थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ व हे0का0 मुकेश भारती साइबर सेल आजमगढ़ द्वारा आवेदक प्रिंस यादव पुत्र पप्पू यादव निवासी इब्राहिमपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ के खाते से हुयी साइबर ठगी के कुल 13000/- रूपये आवेदक के खाते में वापस कराये गये।

पुलिस टीम-

1- थानाध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार सिंह, कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए आशीष कुमार, हे0का0 मुकेश कुमार साइबर सेल जनपद आजमगढ़।